Date - 7 May 2022

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम

- 'संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम' के अनुसार, इस 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' के मद्देनज़र भारत के साथ गेहूँ की खरीद के लिए बातचीत कर रहे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण कई देशों को खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

पृष्ठभूमि:

- फरवरी 2022 में, भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजने की अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- फसल वर्ष 2020-21 (जुलाई-जून) में भारत का गेहूं उत्पादन 59 मिलियन टन रहा।

संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम:

- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) संयुक्त राष्ट्र की 'खाद्य सहायता शाखा' है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूख की समस्या का समाधान करता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है।
- 1961 में शुरू किया गया, 'विश्व खाद्य कार्यक्रम' भूख और कुपोषण को समाप्त करना चाहता है, और इसका अंतिम लक्ष्य 'खाद्य सहायता की आवश्यकता को समाप्त करना' है।
- कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का सदस्य है और इसकी कार्यकारी समिति का एक हिस्सा है।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से लड़ने, बाल मृत्यु दर को कम करने, मातृ स्वास्थ्य में सुधार और एचआईवी और एड्स सहित बीमारी से लड़ने के लिए डब्ल्यूएफपी खाद्य सहायता भी प्रदान की जाती है।

Yojna IAS

रोम में स्थित संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र की अन्य दो एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है:

- खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), जो स्थायी कृषि का समर्थन करने के लिए देशों को नीति बनाने और कानून बदलने में मदद करता है।
- 'कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष (आईएफएडी), जो गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

वित्तपोषण:

- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के पास 'वित्त पोषण' के लिए कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक दान द्वारा वित्त पोषित है। इस कार्यक्रम के प्रमुख दाता सदस्य देशों की सरकारें हैं, लेकिन संगठन को निजी क्षेत्र और व्यक्तियों से भी अनुदान प्राप्त होता है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम

- हाल ही में, गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया है कि 'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम' (CAA) को विभाजित -19 महामारी समाप्त होते ही लागू किया जाएगा।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के बारे में:

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA), संसद द्वारा 11 दिसंबर, 2019 को 12 दिसंबर को अधिनियम के अधिसूचित होने के 24 घंटों के भीतर पारित किया गया था।
- इस संशोधन का उद्देश्य 'नागरिकता अधिनियम', 1955 में संशोधन करना है।
- 'नागरिकता अधिनियम, 1955' में नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीके निर्धारित किए गए हैं।
- इसके तहत भारत में जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्रीय निगमन के आधार पर नागरिकता हासिल करने का प्रावधान किया गया है|

'नागरिकता (संशोधन) अधिनियम' के बारे में:

- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई – को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।

Yojna IAS

- अधिनियम के अनुसार, इन समुदायों के व्यक्ति अपने-अपने देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, जो 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवास कर चुके हैं, उन्हें अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा, बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
- अधिनियम के एक अन्य प्रावधान के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों का विदेशी नागरिक (ओसीआई) पंजीकरण भी कुछ आधारों पर रद्द किया जा सकता है।

अपवाद:

- संविधान की छठी अनुसूची में शामिल होने के कारण, यह अधिनियम त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।
- इसके अलावा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित 'इनर लिमिट' के तहत आने वाले इलाके भी इस एक्ट के दायरे से बाहर होंगे|

इस कानून से जुड़े मुद्दे:

- यह कानून संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इसके तहत धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों की पहचान की गई है।
- कानून को स्थानीय समुदायों के लिए एक जनसांख्यिकीय खतरा माना जाता है।
- इसमें अवैध प्रवासियों को धर्म के आधार पर नागरिकता के लिए पात्र होने का निर्धारण किया गया है। साथ ही, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है।
- यह एक क्षेत्र में बसने वाले अवैध प्रवासियों की नागरिकता को प्राकृतिक बनाने का प्रयास करता है।
- इसके तहत सरकार को किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए प्रवासी नागरिकों के ओसीआई पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति दी गई है। यह काफी व्यापक आधार है जिसमें छोटे अपराधों सहित उल्लंघनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS